



Neutral Citation No. – 2026:AHC:59832

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अधीन आवेदन संख्या- 35590 वर्ष 2025

अंकित शर्मा एवं 2 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 80

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी तथा राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदकगण द्वारा सत्र वाद संख्या 384 वर्ष 2025 (पुराना संख्या सत्र परीक्षण संख्या 198 वर्ष 2025) (राज्य बनाम अंकुर एवं अन्य), धारा 498-क, 354, 376, 511, 323 भारतीय दंड संहिता, थाना जानी, जनपद मेरठ, जो वाद अपराध संख्या 230 वर्ष 2021, धारा 498-ए, 354, 376, 511, 323 भारतीय दंड संहिता, थाना जानी, जनपद मेरठ से उत्पन्न हुआ है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित विचारण

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय, न्यायालय संख्या 1, मेरठ के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 का पति है तथा आवेदक संख्या 2, विपक्षी संख्या 2 का देवर और आवेदक संख्या 3, विपक्षी संख्या 2 की सास है। विवाहित दंपति के मध्य दिनांक 27.08.2025 को समझौता हुआ था और समझौते के अनुसार विवाहित दंपति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-ख के अधीन संयुक्त याचिका पारिवारिक न्यायालय, मेरठ के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा आवेदक द्वारा स्थायी भरण-पोषण की धनराशि पारिवारिक न्यायालय में जमा कर दी गई है। पक्षकारों के मध्य यह सहमति हुई थी कि दोनों पक्षकार अपने-अपने मामले वापस ले लेंगे। इस न्यायालय ने दिनांक 27.08.2025 के समझौते की विषय-वस्तु के सत्यापन का आदेश दिया था और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.09.2025 के आदेश के अनुपालन में संबंधित न्यायालय ने दिनांक 06.10.2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा संबंधित न्यायालय द्वारा समझौते की विषय-वस्तु का सत्यापन कर दिया गया है। दिनांक 06.10.2025 की सत्यापन रिपोर्ट अभिलेख पर है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के मध्य वैवाहिक विवाद का समाधान हो चुका है। अतः उक्त समझौते के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय में लंबित कार्यवाही को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 2003 (4) एस.सी.सी. 675** तथा **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012 (10) एस.सी.सी. 303** के मामलों में प्रतिपादित विधि के आलोक में निरस्त किया जाए।

5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एस.सी.सी. 466**, **योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य, (2014) 9 एस.सी.सी. 653**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तथा परबतभाई आहिर बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एस.सी.सी. 641 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है तथा प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण एवं विपक्षी संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने मतभेदों का समाधान कर लिया है और इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 उक्त मामले को आवेदकगण के विरुद्ध आगे नहीं चलाना चाहती है। विपक्षी संख्या 2 आवेदकगण के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत यदि अभियोजन को आगे जारी रहने दिया जाता है तो उसका कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपर्युक्त प्रस्तुतियों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बी.एस. जोशी (उपर्युक्त)** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि यदि पक्षकारों के मध्य समझौते/समाधान के माध्यम से विवाद समाप्त हो गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में निहित किसी बात के बावजूद, दर्ज किए गए समझौते के आधार पर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा धारा 498-क भारतीय दंड संहिता आदि के अधीन कार्यवाही को निरस्त करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ज्ञान सिंह (उपर्युक्त)** के मामले में पैराग्राफ 61 में निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है—

“अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी आपराधिक कार्यवाही अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा परिवाद को निरस्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, संहिता की धारा 320 के अधीन अपराधों के शमन के लिए आपराधिक न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति से भिन्न एवं विशिष्ट है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और उस पर कोई सांविधिक सीमा नहीं है, किन्तु इसका प्रयोग उसमें निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए, अर्थात् (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अथवा (ii) किसी न्यायालय की कार्यवाही के दुरुपयोग को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रोकने के लिए। अपराधी और पीड़ित के मध्य विवाद के समाधान की स्थिति में किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही अथवा परिवाद अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसके लिए कोई निश्चित श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता पर समुचित ध्यान देना होगा। जघन्य एवं गंभीर अपराध, जिनमें मानसिक विकृति परिलक्षित होती है, अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को, पीड़ित अथवा पीड़ित के परिवार और अपराधी के मध्य समझौता हो जाने पर भी, उचित रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और उनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष विधियों के अधीन अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के मध्य किया गया कोई समझौता, ऐसे आपराधिक अभियोजन को निरस्त करने का आधार नहीं बन सकता। किन्तु ऐसे आपराधिक मामले, जिनका स्वरूप अत्यधिक एवं मुख्यतः सिविल प्रकृति का हो, कार्यवाही को निरस्त करने के प्रयोजनार्थ भिन्न आधार पर विचारणीय होते हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी अथवा इसी प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंधों से संबंधित दहेज आदि अथवा पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों, जहाँ किया गया कृत्य मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का हो और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो। ऐसे मामलों की श्रेणी में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यदि उसकी दृष्टि में अपराधी और पीड़ित के मध्य हुए समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ एवं क्षीण हो और आपराधिक मामले को जारी रखना अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न एवं प्रतिकूलता में डाल देगा तथा पीड़ित के साथ पूर्ण एवं संपूर्ण समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ घोर अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना होगा कि क्या समझौते और विवाद के समाधान के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अनुचित अथवा न्यायहित के प्रतिकूल होगा अथवा आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा तथा क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आपराधिक मामले को समाप्त करना उचित है। यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा।”

8. हाल ही में राम गोपाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1488 वर्ष 2012, दिनांक 29.09.2021 को निर्णीत, जो (2022) 118 ए.सी.सी. 318 में रिपोर्टेड है, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः यह प्रतिपादित किया कि भले ही अपराध शमनीय न हों, तथापि उच्च न्यायालय अपराधों की प्रकृति तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों ने अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया है और पीड़ित ने आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किए जाने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमति प्रदान की है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को निरस्त कर सकता है। ऐसा प्रतिपादित करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय निःसंदेह अपराधों के किसी व्यक्ति के शरीर से परे पड़ने वाले परिणामी प्रभावों का मूल्यांकन कर सकता है और तत्पश्चात व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है, ताकि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध, भले ही दंडित न हो, आपराधिक न्याय प्रशासन की मूल भावना को प्रभावित अथवा पंगु न बना दे। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 14 में सिद्धांतों को निम्नवत् संक्षेपित किया गया है—

“14. दूसरे शब्दों में, जघन्य अथवा गंभीर अपराध अथवा ऐसे अपराध, जिनमें नैतिक अधमता निहित हो अथवा जिनका समाज के सामाजिक एवं नैतिक ताने-बाने पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो अथवा जिनमें लोक नीति से संबंधित विषय सम्मिलित हों, उन्हें केवल दो व्यक्तियों अथवा समूहों के मध्य का विवाद नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे अपराधों में व्यापक समाज को प्रभावित करने की क्षमता होती है। निरस्तीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से घृणित अपराधों को समाप्त करना न केवल समाज को गलत संदेश देगा, बल्कि इससे ऐसे बेईमान आदतन अथवा पेशेवर अपराधियों को अनुचित लाभ भी मिल सकता है, जो दबाव, धमकी, सामाजिक बहिष्कार, रिश्वत अथवा अन्य संदिग्ध साधनों के माध्यम से ‘समझौता’ प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविख्यात सिद्धांत है कि ‘यदि संभव हो तो किसी दोषी व्यक्ति को दंड से बचने नहीं दिया जाना चाहिए।’”

9. मैंने अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों एवं धाराओं का परिशीलन किया है और मेरा मत है कि वे ऐसी प्रकृति के नहीं हैं, जो उन अपवादित मामलों की श्रेणी में आते हों, जहाँ कार्यवाही को निरस्त करने तथा अभियुक्त को दंड से मुक्त रहने देने का समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। चूंकि पक्षकारों ने अपने विवाद का समाधान कर लिया है, अतः आवेदकगण की दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है। वस्तुतः आवेदकगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप अप्रत्यक्ष रूप से वापस लिए गए एवं परित्यक्त माने जाते हैं। अतः न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए कार्यवाही निरस्त किया जाना उचित है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है और प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने वास्तविक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया है, जिसका सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी किया गया है और जिसकी रिपोर्ट की प्रति अभिलेख पर है। अतः यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 2, जो विचारण आगे बढ़ने की स्थिति में अभियोजन का मुख्य साक्षी होगा, ने विचारण के दौरान अभियोजन के विरुद्ध साक्ष्य देने की स्पष्ट एवं निर्विवाद मंशा व्यक्त की है। ऐसी परिस्थितियों में, मामले के गुण-दोष एवं वास्तविकता से परे, यदि विचारण को जारी रहने दिया जाता है, तो अधीनस्थ न्यायालय का बहुमूल्य समय काफी हद तक व्यर्थ हो सकता है।
11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा समझौते के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए और इन सभी तथ्यों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को स्वीकार किया जाता है। साथ ही, **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012 (10) एस.सी.सी. 303, नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपर्युक्त), योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य (उपर्युक्त) तथा परबतभाई आहिर बनाम गुजरात राज्य (उपर्युक्त)** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।
12. उपर्युक्त के दृष्टिगत, सत्र वाद संख्या 384 वर्ष 2025 (पुराना संख्या सत्र परीक्षण संख्या 198 वर्ष 2025) (राज्य बनाम अंकुर एवं अन्य), धारा 498-क, 354, 376, 511, 323 भारतीय दंड संहिता, थाना जानी, जनपद मेरठ, जो वाद अपराध संख्या 230 वर्ष 2021, धारा 498-ए, 354, 376, 511, 323 भारतीय दंड संहिता, थाना जानी, जनपद मेरठ से उत्पन्न हुआ है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित विचारण न्यायालय, न्यायालय संख्या 1, मेरठ के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।
13. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 मार्च, 2026

नितेंद्र

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”